न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान) केम्प कोर्ट भीटवाडा
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : /2021 GCMS No 2021/
दायरा तिथि : 12.11.2021
फैसला तिथि : 12.11.2021

प्रार्थी::–

पकाराम पुत्र तेजाजी जाति सीरवी
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक 12.11.2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी ने प्रशासन गांवो के संग अभियान, 2021 केम्प भीटवाडा में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम भीटवाडा तहसील बाली मे धारित की जा रही सह खातेदारी भूमि खसरा नंबर 402, 496 कुल खसरा–02 कुल रकबा 0.55 हैक्टर एवं खसरा नंबर 434, 902, 906, 910, 913, 919, 925, 931 कुल खसरा–8 कुल रकबा 3.39 हैक्टर एवं खसरा नंबर 403, 404 कुल खसरा–02 कुल रकबा 0.43 हैक्टर में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम प्रेमा पुत्र तेजा** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम पकाराम पुत्र तेजाजी शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमियो ग्राम भीटवाडा के खाता संख्या 311, 310, 432 की जमाबंदिया संवत् 2076 से 2079 की प्रतियॉं पेश की गई। इसके साथ ही सही नाम पकाराम होने की पुष्टि में ग्राम भीटवाडा में ही धारित की जा रही अन्य भूमि खसरा नंबर 927, 928, 935 की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की प्रति, आधार कार्ड की फोटो प्रति, फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रति, परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रति, पासपोर्ट की फोटो प्रति, बिजली बिल की फोटो प्रति, मारवाड ग्रामीण बैंक की पासबुक की फोटो प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थना पत्र का जवाब मय पटवारी हल्का भीटवाडा की रिपोर्ट के साथ भूमिधारी तहसीलदार, बाली की ओर पेश किया एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मे वर्णित त्रुटि को स्वीकार किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट का अवलोकन किया। भूमिधारी के जवाब एवं पटवारी हल्का भीटवाडा की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार राजस्व रेकर्ड में द्वितीय सैटलमेंट के दौरान त्रुटि हुई है, जो अब तक राजस्व रेकर्ड में दर्ज चली आ रही हैं। जबकि प्रार्थी द्वारा धारित की जा रही ग्राम भीटवाडा की ही अन्य भूमि खसरा नंबर 927, 928, 935 में प्रार्थी का **सही नाम पकाराम पुत्र तेजा बतौर सह खातेदार** दर्ज है। जिससे वादग्रस्त भूमियो मे भी प्रार्थी का नाम सुधारा जाना विधि अनुसार न्याय संगत है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रर्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम भीटवाडा तहसील बाली में प्रार्थी द्वारा धारित की जा रही सह खातेदारी भूमियां यथा खसरा नंबर 402, 496 कुल खसरा–02 कुल रकबा 0.55 हैक्टर एवं खसरा नंबर 434, 902, 906, 910, 913, 919, 925, 931 कुल खसरा–8 कुल रकबा 3.39 हैक्टर एवं खसरा नंबर 403, 404 कुल खसरा–02 कुल रकबा 0.43 हैक्टर में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम प्रेमा पुत्र तेजा** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम पकाराम पुत्र तेजाजी शुद्ध** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भीटवाडा को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी
भू0 अभिलेख अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.
(एस.डी.ओ.) बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली जिला - पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 12.11.2021 को मजना–ए–आम में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.

Scanned with CamScanner